REGD. NO. D. L.-33004/99

रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99



असाधारण

EXTRAORDINARY भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii) PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 3729]नई दिल्ली, बुधवार, सितम्बर 19, 2018/भाद 28, 1940No. 3729]NEW DELHI, WEDNESDAY, SEPTEMBER 19, 2018/BHADRA 28, 1940

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 19 सितम्बर, 2018

का.आ. 4897(अ).—केन्द्रीय सरकार, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) की धारा 2 की उप-धारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारत सरकार के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उप-खंड (ii) में प्रकाशित अधिसूचना सं. का. आ. 689(अ), दिनांकित 4 अप्रैल, 2011 में एतद्वारा और निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात्:-

अनुसूची में, क्रम सं. 268 तथा उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:-

क्र. सं.	नई रारा सं.	राष्ट्रीय राजमार्ग का विवरण
(1)	(2)	(3)
268	333ए	बिहार राज्य में बार बिगहा के निकट रारा-33 के साथ अपने जंक्शन से प्रारंभ होकर
		शेखपुरा, सिकंदरा, जमुई, झाझा, बांका को जोड़ते हुए और झारखंड राज्य में पाकुड़ के
		निकट रारा-133ए के साथ गोड्डा, सुदरपहाड़ी, लिटीपाढ़ा को जोड़ते हुए अपने जंक्शन
		पर समाप्त होने वाला राजमार्ग।

[फा.सं. एनएच-14012/16/2015-पी एण्ड)एम] राजेश गुप्ता, उप सचिव

5532 GI/2018

पाद टिप्पण : राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) और तत्संबंधी अनुसूची, भारत के राजपत्र में एस. आर. ओ. 1180 दिनांकित 4 अप्रैल, 1957 के तहत प्रकाशित की गई थी और अधिसूचना संख्या का.आ. 689(अ), दिनांकित 4 अप्रैल, 2011 द्वारा प्रतिस्थापित की गई थी और पिछली बार संशोधन अधिसूचना सं. 4313(अ), दिनांकित 10 सितंबर, 2018 द्वारा किया गया था।

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS

NOTIFICATION

New Delhi, the 19th September, 2018

S.O. 4897(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (2) of section 2 of the National Highways Act, 1956 (48 of 1956), the Central Government hereby makes the following further amendment in the notification of the Government of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (ii) vide number S.O. 689(E), dated the 4th April, 2011, namely:-

In the Schedule, for serial number 268 and entries relating thereto, the following shall be substituted namely:-

TABLE

Serial No.	New	Description of National Highways	
	National Highway		
	No.		
(1)	(2)	(3)	
268	333A	The highway starting from its junction with NH-33 near Bar Bigha connecting Shekhpura, Sikandra, Jamui, Jha- Jha, Banka in the State of Bihar, Godda, Suderpahari, Litipara and terminating at its junction with NH-133A near Pakur in the State of Jharkhand.	

[F. No. NH-14012/16/2015-P&M]

RAJESH GUPTA, Dy. Secy.

Footnote : The Schedule to the National Highways Act, 1956 (48 of 1956) was substituted vide notification number S.O. 689 (E), dated 4th April, 2011 publised in the Gazette of India, dated the 4th April, 2011 and subsequently amended vide notification No. 4313(E), dated 10.09.2018.

अधिसूचना

नई दिल्ली, 19 सितम्बर, 2018

का.आ 4898(अ).—केन्द्रीय सरकार, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) (जिसे इसमें इसके पश्चात उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 2 की उप-धारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, निम्नलिखित तालिका के स्तम्भ (3) में विनिर्दिष्ट प्रत्येक राजमार्ग को तत्संबंधी तदनुरूपी स्तम्भ (2) में यथा-विनिर्दिष्ट राष्ट्रीय राजमार्ग घोषित करती है ।

उक्त राजमार्गों, जिन्हें इस अधिसूचना द्वारा राष्ट्रीय राजमार्ग घोषित किया जाना है, को तालिका के क्रमश: स्तम्भ (1), (2) और (3) में यथा-निर्दिष्ट नई क्रम संख्याओं, नई राष्ट्रीय राजमार्ग संख्याओं तथा राष्ट्रीय राजमार्गों के विवरण के साथ उक्त अधिनियम की अनुसूची में विनिर्दिष्ट किया गया समझा जाएगा ।

3

त	П	6	ক	

क्र. सं.	नई रारा सं.	राष्ट्रीय राजमार्ग का विवरण
(1)	(2)	(3)
542	320जी	झारखंड राज्य में हाट गमरिया के निकट रारा-20 के साथ अपने जंक्शन से प्रारंभ होकर जगन्नाथपुर, बरईबुरु, सैदल, मनोहरपुर, आनंदपुर, बानो को जोड़ते हुए और केलेबिरा के निकट रारा-143 के साथ अपने जंक्शन पर समाप्त होने वाला राजमार्ग।
543	143एजी	झारखंड राज्य में लोहरदग्गा के निकट रारा-143ए के साथ अपने जंक्शन से प्रारंभ होकर भांद्रा, बेरो, कर्रा, खूंटी को जोड़ते हुए और तमार के निकट रारा-43 के साथ अपने जंक्शन पर समाप्त होने वाला राजमार्ग
544	320डी	ओडिशा राज्य में चक्रधरपुर के निकट रारा-20 के साथ अपने जंक्शन से प्रारंभ होकर सोनुआ, गोयलकेरा, मनोहरपुर, जराईकेला को जोड़ते हुए और रारा-143 (राउरकेला बाइपास) के साथ अपने जंक्शन पर समाप्त होने वाला राजमार्ग।
545	218	पश्चिम बंगाल राज्य में पुरुलिया के निकट रारा-18 के साथ अपने जंक्शन से प्रारंभ होकर चांडाक्यारी, झरिया को जोड़ते हुए और झारखंड राज्य में धनबाद के निकट रारा-18 के साथ अपने जंक्शन पर समाप्त होने वाला राजमार्ग।
546	143बी	छत्तीसगढ़ राज्य में जशपुर नगर के निकट रारा-43 के साथ अपने जंक्शन से प्रारंभ होकर गोविंदपुर, डुमरी को जोड़ते हुए और महौंदर के निकट समाप्त होने वाला राजमार्ग।

[फा.सं. एनएच-14012/16/2015-पी एण्ड एम] राजेश गुप्ता, उप सचिव

पाद टिप्पण : राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) और तत्संबंधी अनुसूची, भारत के राजपत्र में एस. आर. ओ. 1180, दिनांकित 4 अप्रैल, 1957 के तहत प्रकाशित की गई थी और अधिसूचना संख्या का.आ. 689(अ), दिनांकित 4 अप्रैल, 2011 द्वारा प्रतिस्थापित की गई थी और पिछली बार संशोधन अधिसूचना सं. 4313(अ), दिनांकित 10 सितंबर, 2018 द्वारा किया गया था।

NOTIFICATION

New Delhi, the 19th September, 2018

S.O. 4898(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (2) of section 2 of the National Highways Act, 1956 (48 of 1956) (hereinafter referred to as the said Act), the Central Government hereby declares each of the highways specified in the column (3) of the Table below to be a national highway, as specified in the corresponding column (2) thereof.

The highways, now declared to be national highways by this notification, shall be deemed to be inserted in the Schedule to the said Act with the new serial numbers, the new national highways numbers and the description of the national highways thereof, as indicated in columns (1), (2) and (3) respectively, of the Table.

Serial No.	New National Highway No.	Description of National Highways
(1)	(2)	(3)
542	320G	The highway starting from its junction with NH-20 near Hat Gamaria connecting Jagannathpur, Baraiburu, Saddle, Manoharpur, Anandpur, Bano and terminating at its junction with NH- 143 near Kolebira in the state of Jharkhand
543	143AG	The highway starting from its junction with NH-143A Near Lohardaga connecting Bhandra, Bero, Karra, Khunti and terminating at its junction with NH-43 near Tamar in the State of Jharkhand.
544	320D	The highway starting from its junction with NH-20 near Chakradharpur connecting Sonua, Goelkera, Manoharpur, Jaraikela in the state of Jharkhand and terminating at its junction with NH-143 (Raurkela Bypass) in the state of Odisha.
545	218	The highway starting from its junction with NH-18 near Purulia in the state of West Bengal connecting Chandakyari, Jhariya and terminating at its junction with NH-18 near Dhanbad in the State of Jharkhand.
546	143B	The highway starting from its junction with NH-43 near Jashpurnagar in the state of Chattisgarh connecting Gobindpur, Dumri and terminating near Mahuandanr in the State of Jharkhand.

[F. No. NH-14012/16/2015-P&M] RAJESH GUPTA, Dy. Secy

Footnote:-The National Highways Act, 1956 (48 of 1956) and the Schedule thereto was published in the Gazette of India vide notification number S.R.O. 1180 dated 4th April, 1957 and was substituted vide notification number S.O. 689 (E), dated 4th April, 2011 and last amended vide notification number S.O. 4313(E), dated 10th September, 2018.

TABLE